संचिका संख्या : 15/औ०–13–06/2024 – ..../स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि पत्र

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–7566, दिनांक–14.07.2010 एवं पत्रांक–10543, दिनांक–06.10.2025 में निहित निदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०–68(15A), दिनांक–29.01.2026 द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संवर्ग के कार्यरत एवं सेवानिवृत पदाधिकारियों को नियानुसार प्रथम/द्वितीय/तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना का लाभ अनुमान्य कराया गया है।

2. उक्त विभागीय अधिसूचना के क्रम संख्या–25 पर अंकित श्री उदय शंकर, सेवानिवृत राज्य औषधि नियंत्रक को तृतीय एम०ए०सी०पी० की देयता तिथि – 09.12.2021 से निर्धारित की गई। तदालोक में श्री शंकर द्वारा विभागीय अधिसूचना सं०–611(15), दिनांक–09.06.2023 द्वारा पूर्व से प्रदत प्रथम ACP की अनुमान्यता की तिथि–07.11.2006 को संशोधित कर 09.12.2003 तथा द्वितीय MACP की अनुमान्यता की तिथि–07.11.2014 को संशोधित कर 09.12.2011 किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि श्री शंकर की प्रथम नियुक्ति उद्योग विभाग, बिहार, सरकार के पत्रांक–13910, दिनांक–04.12.1991 के द्वारा कार्य/परियोजना प्रबंधक के पद पर हुई थी। श्री शंकर द्वारा उक्त पद पर दिनांक–09.12.1991 को योगदान दिया गया था।

4. स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना सं०–836(15), दिनांक–19. 05.1994 के द्वारा श्री शंकर की नियुक्ति औषधि निरीक्षक के पद पर हुई। जिसके आलोक में उनके द्वारा दिनांक–07.11.1994 को औषधि निरीक्षक के पद पर योगदान दिया गया था।

5. विभागीय अधिसूचना सं०–289(15), दिनांक–22.04.2024 के द्वारा नियमानुसार श्री शंकर की सेवा का समायोजन करते हुए निर्णय लिया गया है कि श्री शंकर के द्वारा कार्य/परियोजना प्रबंधक के पद पर बितायी गई सेवा वितीय उन्नयन के प्रयोजनार्थ गणनीय होगी अर्थात् ACP/ MACP की गणना उद्योग विभाग में योगदान की तिथि 09.12.1991 से होगी। साथ हीं श्री शंकर की नए पद (औषधि निरीक्षक) पर नियुक्ति के उपरांत पूर्व पद (कार्य/परियोजना प्रबंधक) पर प्राप्त वेतन भी संरक्षणीय होगा।

6. चूँकि विभागीय अधिसूचना सं०–289(15), दिनांक–22.04.2024 के द्वारा श्री शंकर की सेवा का समायोजन सभी प्रयोजनार्थ किया गया है, फलतः योगदान की

तिथि 09.12.1991 से क्रमशः 12 वर्ष एवं 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर उनके प्रथम एवं द्वितीय ACP/ MACP की देयता की तिथि में संशोधन अपेक्षित है। **अतः विभागीय अधिसूचना सं०–611(15), दिनांक–09.06.2023 के क्रम संख्या–82 एवं विभागीय अधिसूचना सं०–68(15A), दिनांक–29.01.2026 के क्रम संख्या–25 पर श्री उदय शंकर के नाम के सामने अंकित प्रथम ACP के देयता की तिथि – 07.11.2006 के स्थान पर 09.12.2003 तथा द्वितीय MACP की अनुमान्यता की तिथि – 07.11.2014 के स्थान पर 09.12.2011 पढ़ा जाय।**

7. विभागीय अधिसूचना सं०–611(15),दिनांक–09.06.2023 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–68(15A), दिनांक–29.01 2026 की शेष कंडिकाएँ एवं शर्तें यथावत रहेंगे।

8. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 435(15A) **पटना/दिनांक –** 20/05/ **2026**

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) को बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री उदय शंकर, सेवानिवृत राज्य औषधि नियंत्रक को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि . लेखा शाखा/प्रतिनियुक्त लेखापाल, निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

352

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

289(15)

पटना, दिनांक- 22/04/2024

रा0स0–15 औ0–12–08/2023

श्री उदय शंकर, तत्कालीन सहायक औषधि नियंत्रक सम्प्रति उप औषधि नियंत्रक-सह-कार्यकारी राज्य औषधि नियंत्रक, निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन (मुख्यालय) पटना की प्रथम नियुक्ति उद्योग विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–13910, दिनांक–04.12.1991 के द्वारा कार्य/परियोजना प्रबंधक के पद पर वेतनमान 2000–60–2300–75–3200–100–3800+100/रू0 विशेष वेतन में हुई। श्री शंकर द्वारा उक्त पद पर दिनांक–09.12.1991 को योगदान दिया गया।

श्री शंकर की दूसरी बार नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–836(15), दिनांक–19.05.1994 के द्वारा औषधि निरीक्षक के पद पर वेतनमान 1800–60–2280–75–3330 में हुई जिसके आलोक मे उन्होने दिनाक–07.11.1994 को उक्त पद पर योगदान दिया।

स्वास्थ्य विभागीय ज्ञापाक–213(15), दिनांक–17.02.2004 के द्वारा श्री शंकर को दिनाक–09.12.1991 से दिनाक- 07.11.1994 तक उद्योग विभाग, बिहार सरकार में की गयी सेवा अवधि को वेतन प्रदायी सेवा के रूप मे परिगणना की गयी है।

श्री शकर को विभागीय आदेश ज्ञापांक–611(15), दिनांक–09.06.2023 के द्वारा प्रथम ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की देय तिथि की गणना स्वास्थ्य विभाग मे औषधि निरीक्षक के पद पर किये गए योगदान की तिथि अर्थात दिनाक–07.11.1994 से की गई है।

श्री शंकर की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1991 मे कार्य/ परियोजना प्रबधक, वेतनमान 2000–3800/– मे हुई एवं वे वर्ष 1994 में औषधि निरीक्षक के पद पर वेतनमान 1800–3330/– में नियुक्त हुये। इस प्रकार श्री शकर कार्य /परियाजना प्रबंधक के पद से औषधि निरीक्षक के उच्चतर वेतनमान के पद पर नियुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि निम्नतर वेतनमान में नियुक्त हुये हैं। ए०सी०पी० नियमावली, 2003 दिनाक-09.08.1999 से प्रभावी है। दिनांक–01.01.1996 से उपर्युक्त दोनो पदों का वेतनमान एक समान 6500–10500/– स्वीकृत किया गया है।

अतएव ए०सी०पी० नियमावली के उक्त प्रावधान के आलोक में श्री शंकर के द्वारा कार्य/परियोजना प्रबंधक के पद पर बितायी गई सेवा वित्तीय उन्नयन के प्रयोजनार्थ गणनीय होगी अर्थात ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की गणना उद्योग विभाग में योगदान की तिथि 09.12.1991 से होगी। साथ ही श्री शंकर की नए पद (औषधि निरीक्षक) पर नियुक्ति के उपरान्त पूर्व पद (कार्य/परियोजना प्रबधक) पर प्राप्त वेतन भी संरक्षणीय होगा।

2 प्रस्ताव मे वित्त विभाग, बिहार सरकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सुरेन्द्र सूर्य)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

351

ज्ञापांक—15/औ०—12—08/2023 259(15)/स्वा0, पटना, दिनांक—22.04.2024

प्रतिलिपि:— माननीय उप मुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक—15/औ०—12—08/2023 259(15)/स्वा0, पटना, दिनांक—22.04.2024

प्रतिलिपि:— उप सचिव/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक—15/औ०—12—08/2023 259(15)/स्वा0, पटना, दिनांक—22.04.2024

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक—15/औ०—12—08/2023 259(15)/स्वा0, पटना, दिनांक—22.04.2024

प्रतिलिपि:— वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक—15/औ०—12—08/2023 259(15)/स्वा0, पटना, दिनांक—22.04.2024

प्रतिलिपि:— राज्य औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक—15/औ०—12—08/2023 259(15)/स्वा0, पटना, दिनांक—22.04.2024

प्रतिलिपि:— संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, पंत भवन, बिहार, पटना/संबंधित जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, बिहार/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक—15/औ०—12—08/2023 259(15)/स्वा0, पटना, दिनांक—22.04.2024

प्रतिलिपि:— (i) श्री उदय शंकर, तत्कालीन सहायक औषधि नियंत्रक सम्प्रति उप औषधि नियंत्रक—सह—कार्यकारी राज्य औषधि नियंत्रक, निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन (मुख्यालय) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,